न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010021842019

POCSO Act/38/2019
State Government Vs. Pushpendra
सत्र वाद संख्या 38/2019

सरकार बनाम 1. पुष्पेन्द्र पुत्र महेशचन्द्र
2. नीटू पुत्र पप्पू निवासीगण ग्राम उपैडा,
थाना–बाबूगढ़, जिला–हापुड़।
मु0अ0सं0 417 सन 2018
अन्तर्गत धारा 452, 506, 354 भा0दं0सं0
एवं धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम
थाना–बाबूगढ़, जिला–हापुड़।

निर्णय

1– अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र पुत्र महेशचन्द्र व नीटू पुत्र पप्पू का परीक्षण अन्तर्गत धारा 452, 506, 354 भा0दं0सं0 एवं धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम किया गया ।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि '' कल दिनाक 12.09.2018 समय करीब 4 बजे शाम को प्राथी की लड़की कुमारी ''सी'' उम्र करीब 17 वर्ष अपने घर पर झाडू लगा रही थी, तो तभी मौहल्ले के पुष्पेन्द्र पुत्र महेश व नीटू पुत्र पप्पू जबरदस्ती पार्टी के घर में घुस आये और प्रार्थी की लडकी ''सी'' के साथ छेडछाड व बदतमीजी करने लगे और ''सी'' की छाती भीचने लगे। कु० ''सी'' के विरोध करने पर पुष्पेन्द्र प्रार्थी की लडकी ''सी'' को जबरदस्ती कोली भरकर घर से बाहर खींचकर ले गया और बाहर खड़ी मोटर साइकिल पर पुष्पेन्द्र व नीटू कु० ''सी'' को जबरदस्ती बैठाकर ले जाने लगे तो ''सी'' ने शोर मचा दिया। प्रार्थी की लड़की के शौर पर मौहल्ले के गुरदीप व मोनू आदि लोग आ गये, जिन्हें देखकर पुष्पेन्द्र व नीटू ''सी'' को जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। दिनाक 29.06.2018 को भी उक्त दोनो लोगो ने प्राथी के घर में घुसकर कु० ''सी'' के साथ बदतमीजी व छेडछाड की थी। प्रार्थी आज सुबह खरखौदा अपने भाई के पास से आया तो ''सी'' ने सारी घटना बतायी। प्रार्थी रिपोर्ट को आया है रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। '' उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू के विरूद्ध अ0 धारा 452, 506, 354 भा0दं0सं0, 7/8 पोक्सो एक्ट मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.07.29 16:09:38 IST
Reason: judgement
Location: District and Sessions Court

3. विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू के विरूद्ध अ0 धारा 452, 506, 354 भा0दं0सं0,7/8 पोक्सो एक्ट के अर्न्तगत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया ।

4. अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया तथा अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू के विरूद्ध अ0 धारा 452, 506, 354 भा0दं0सं0,7/8 पोक्सो एक्ट का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया व विचारण की मॉग की। अभियोजन पक्ष को सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट किया गया।

5. मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण प्रस्तुत किये गये हैं –

क्र.सं.	**साक्षी का नाम**	**साक्षी संख्या**
1.	विनोद कुमार/ वादी मुकदमा	पी.डब्लू–1
2.	पीडिता ''सी''	पी.डब्लू–2
3.	डा0 मीनाक्षी	पी.डब्लू–03
4.	सेवानिवृत उपनिरीक्षक धर्मराज सिंह	पी.डब्लू–4
5.	हैड का0 कुलदीप कुमार	पी.डब्लू–5
6.	श्रीमती सुधा गुप्ता प्रधानाचार्या	पी.डब्लू–6

6.दस्तावेजी साक्ष्य–अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं:–

क्र.सं.	**दस्तावेज**	**अंकित प्रदर्श**	**सबंधित साक्षी जिसके द्वारा प्रपत्र साबित किया गया।**
1.	**तहरीर**	प्रदर्श क–1	पी.डब्लू–01
2.	**पीडिता के बयान अर्न्तगत धारा 164 द0प्र0सं0**	प्रदर्श क–2	पी.डब्लू–02
3.	**पीडिता की मैडिकल रिपोर्ट**	प्रदर्श क–3	पी.डब्लू–03
4.	**नक्शा नजरी**	प्रदर्श क–4	पी.डब्लू–04
5.	**आरोपपत्र**	प्रदर्श क–5	पी.डब्लू–04
6.	**चिक एफ.आई.आर**	प्रदर्श क–6	पी.डब्लू–05
7.	**जी.डी. कार्बन प्रति**	प्रदर्श क–7	पी.डब्लू–05
8.	**एस0आर0 रजिस्टर की प्रमाणित प्रति**	प्रदर्श क–8	पी.डब्लू–06

9.	**टी0सी0 की प्रमाणित प्रति**	प्रदर्श क–9	पी.डब्लू–06

7– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अ0 धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को अस्वीकार करते हुए, स्वयं को निर्दोष होना व साजिशन झूठा फसाया जाना कहा है तथा सफाई साक्ष्य में डी0डब्लू–1 अमरदीप त्यागी, डी0डब्लू–2 योगेन्द्र, डी0डब्लू– 3 गौरव कुमार, डी0डब्लू–4 ऋषिपाल सिंह, डी0डब्लू–5 गौरव सैनी को परीक्षित कराया गया है ।

8. मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

9. अभियोजन पक्ष का मुख्य कथन इस प्रकार है कि दिनांक 12.09.2018 को समय 04.00 बजे शाम ग्राम उपैडा बहद थाना बाबूगढ जिला हापुड में अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू ने वादी मुकदमा की अव्यस्क पुत्री ''सी''/ पीडिता उम्र करीब 17 वर्ष की लज्जा भंग करने के आशय से गृहअतिचार किया व आपराधिक बल का प्रयोग कर उसके साथ छेडछाड की तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी तथा उस पर लैंगिक हमला किया।

10. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से तथ्य के साक्षियों की श्रेणी में पी.डबलू–1 विनोद कुमार/ वादी मुकदमा को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि –''दिनांक 12.09.2018 को मेरी बेटी ''सी'' शाम करीब 04.00 बजे घर पर अकेली थी । घर में झाडू पोंछा लगा रही थी । ''सी'' की उम्र करीब 17 वर्ष है । तभी मौहल्ले के पुष्पेन्द्र , नीटू, मोटर साईकिल से घर पर आये । मोटर साईकिल मेरे घर के बाहर खडी की । पुष्पेन्द्र घर के अन्दर से ''सी'' को बदतमीजी करते हुए छाती भीचते हुए घर के बाहर लाने लगा । ''सी'' के शोर मचाने पर मौहल्ले के लोग इकटठा हो गये । इकटठा होने पर पुष्पेन्द्र ''सी'' को छोडकर मोटर साईकिल पर बैठकर घर भाग गया । ''सी'' ने मोनू कश्यप के फोन से 100 नम्बर पर फोन किया । पुलिस को सूचना दी । शाम करीब 7 बजे मेरे पास भी फोन किया । मैं उस दिन घर पर नहीं था । मुझ पर फोन किया था । मैं उसी दिन देर रात अपने घर उपैडा आया था । मैंने सोनू कश्यप जी से तहरीर लिखवाई तथा रात को थाने गये । परन्तु रात को रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई । अगले दिन सुबह 10 बजे मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली थी । साक्षी ने पत्रावली पर संलग्न तहरीर प्रदर्श क–1 को देखकर कहा कि यह वही असल तहरीर है , जो मैंने अपने गांव के सोनू कश्यप से लिखवाकर थाने पर दी थी ।''

11. अभियोजन पक्ष की तरफ से तथ्य के साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–2 पीडिता ''सी'' को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि '' घटना दिनांक 12.09.2018 की है । मैं घर पर अकेली थी । समय करीब 04.00 बजे शाम मैं अपने आंगन में झाडू लगा रही थी । मौहल्ले के पुष्पेन्द्र, नीटू, ने आकर मेरे साथ बदतमीजी की । पुष्पेन्द्र मुझे कौली भरकर बाहर लेकर आया । मैंने शोर मचाया तो मौहल्ले के लोग इकटठे हो गये । मौहल्ले वालो के आने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गये । घटित घटना मैंने अपने पापा को बताई । पापा जी , ताउ के यहां खरखौदा गये हुए थे । पापा अगले दिन सुबह साढे सात बजे आये थे । पापा को मैंने सारी बात बताई । हम तहरीर लिखवाने के लिए सोनू अंकल के पास गये थे । जो मेरे साथ घटना हुई, वही उन्होने तहरीर में लिखा । मैंने खुद भी पढा था । उसके बाद हम तहरीर लेकर थाने गये । उन्होने हमारी तहरीर लेकर रख ली , शाम को आने के लिए बोला । हम शाम 5 बजे थाने गये । तब हमारी रिपोर्ट लिखी गयी । साक्षी मामले के पीडिता ने उसके न्यायालय के समक्ष अंकित कराए गए बयान अर्न्तगत धारा 164 द0प्र0सं0 प्रदर्श क–2 पर अपना फोटो व हस्ताक्षर होना पहचाना । ''

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने सशपथ बयान किया है कि–'' मैं इन्हे पहले से नहीं जानती हूं । नीटू मेरे पास तक नहीं आया था , वह मोटरसाईकिल पर ही बैठा रहा था । यह बात सही है कि मेरे पापा खरखौदा थे और खरखौदा से देर रात आये थे । फिर कहा अगले दिन 5–5.30 बजे सुबह आये थे । ''

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व दौरान विवेचना विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पीडिता के बयान अर्न्तगत धारा 164 द0प्र0सं0 अंकित कराए गए , जिसमें पीडिता द्वारा कथन किया गया है कि–'' पुष्पेन्द्र और पिन्टू हमारे ही मौहल्ले के है । दिनांक 12.09.2018 को समय करीब शाम के 4 बजे मैं घर पर अकेली थी । सब घरवाले किसी न किसी काम से बाहर गए हुए थे । मम्मी , दीदी जंगल गई हुई थी । पापा, ताउजी के पास गए थे और भाई दिल्ली रहते है । मैं उस समय झाडू लगा रही थी । तभी पुष्पेन्द्र पीछे से आया और मेरी कौली भर ली । पुष्पेन्द्र मुझे घर से बाहर लाकर जबरदस्ती अपनी मोटर साईकिल पर बैठाने लगा । नीटू उस समय बाईक स्टार्ट करके खडा हुआ था । मैने शोर मचाया तो मौहल्ले के लोग इकटठा हो गए । पुष्पेन्द्र ने मेरे साथ छेडखानी करी थी । उसने मेरा सीना दबाया था । मौहल्ले वालो को आता देख पुष्पेन्द्र मुझे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया । नीटू भी भाग गया । दोनों बाईक पर भाग गए । उसी दिन फोन करके मैंने

पापा को सारी बात बतायी । पापा अगले दिन दि0 13.09.2018 को आए , तो उस दिन थाने में मेरे पापा ने रिपोर्ट लिखाई । मैं भी साथ गई थी । मैं पुष्पेन्द्र और नीटू को सजा दिलाना चाहती हूं ।''

12. अभियोजन पक्ष की तरफ से औपचारिक साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–3 डा0 मीनाक्षी को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि –''दि0 18.09.2018 को समय करीब 12.25 पी0एम0 पर सी0एच0सी0 हापुड पर मैं महिला चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात थी। तभी महिला का0 विमलेश थाना बाबूगढ के द्वारा कु0 ''सी'' उम्र लगभग 17 वर्ष पुत्री विनोद कुमार कश्यप, निवासी ग्राम उपैडा, थाना बाबूगढ जिला हापुड को मैडिकल परीक्षण के लिए लाया गया । पीडिता के वाहय परीक्षण पर परीक्षण के दौरान कोई वाहय चोट नहीं थी और पीडिता ने अपनी अन्दरूनी जांच के लिए साथ लाई गई महिला का0 विमलेश की मौजूदगी में मना कर दिया गया था । पीडिता का पहचान चिन्ह काला तिल 3.0 से0मी0 गर्दन के नीचे दायी तरफ था । पत्रावली पर संलग्न मैडिकल रिपोर्ट 10क/1 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर अपने हस्ताक्षर शिनाख्त करती हूं । मैडिकल रिपोर्ट पर प्रदर्श क– 3 डाला गया । ''

13. अभियोजन पक्ष की तरफ से औपचारिक साक्षियों की श्रेणी में पी.डबलू–4 सेवानिवृत उपनिरीक्षक धर्मराज सिंह को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने सशपथ साक्ष्य में प्रकरण की विवेचना करना कहा है तथा दौरान विवेचना वादी की निशानदेही पर निरीक्षण उपरान्त घटना स्थल का नक्शानजरी तैयार करना तथा विवेचना उपरान्त आरोपपत्र प्रस्तुत करना कहा है तथा घटनास्थल के नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 ,आरोपपत्र प्रदर्श क–5 को साबित किया है ।

14. अभियोजन पक्ष की तरफ से औपचारिक साक्षियों की श्रेणी में पी.डबलू–5 हैड का0 कुलदीप कुमार को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने सशपथ साक्ष्य में चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–6 व नकल कायमी मुकदमा जी0डी0 प्रदर्श क–7 को साबित किया है ।

15. अभियोजन पक्ष की तरफ से औपचारिक साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–6 श्रीमती सुधा गुप्ता प्रधानाचार्या को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि –''छात्रा कु0 ''सी'' पुत्री विनोद कुमार, माता का नाम श्रीमती रज्जो देवी, पता–ग्राम उपैड़ा जिला–हापुड़ का दाखिला हमने दिनांक 19.07.2012 में कक्षा–6 में लिया

था। कु0 ''सी'' की जन्मतिथि दिनांक 05.02.2002 है। कु0 ''सी'' का नाम एस0आर0 रजिस्टर के क्रमांक संख्या 472 पर अंकित है। कु0 ''सी'' का दाखिला मैंने पॉचवी पास की टी0सी0 के आधार पर कक्षा 6 में लिया था तथा ''सी'' ने हमारे विद्यालय से बारहवीं कक्षा पास की थी। कु0 ''सी'' की पॉचवी पास की टी0सी0 में जन्मतिथि दिनांक 05.02.2002 अंकित है। छात्रा कु0 ''सी'' का मूल अभिलेख मैं आज न्यायालय में लेकर आयी हूॅं, जिसका सत्यप्रति दाखिल कर रही हूॅं। एस0आर0 रजिस्टर की सत्य प्रतिलिपि पर प्रदर्श क–8 डाला गया, पॉचवी पास की सत्य प्रतिलिपि पर प्रदर्श क–9 डाला गया। ''

अन्य कोई गवाह अभियेाजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

16. बचाव पक्ष की तरफ से धारा 313 द0प्र0सं0 के कथन अभिलिखित किए जाने के पश्चात अपनी साक्ष्य में मौखिक गवाह डी0डब्लू–1 अमरदीप त्यागी, डी0डब्लू–2 योगेन्द्र, डी0डब्लू– 3 गौरव कुमार,डी0डब्लू–4 ऋषिपाल सिंह, डी0डब्लू–5 गौरव सैनी, डी0डब्लू–6 अशोक को प्रस्तुत किया गया है ।

डी0डब्लू–1 अमरदीप त्यागी ने अपने साक्ष्य मे सशपथ बयान किया है कि – ''दि0 12.09.2018 को मै पूरे दिन अपने खेतो पर था । हमारे खेतो में धान नलायी का कार्य हो रहा था । नलायी का कार्य पुष्पेन्द्र, नीटू, नीटू की मां सुनीता व कुछ अन्य लोग मेरे खेतो में धान नला रहे थे । इन लोगो ने शाम 6 बजे तक नलायी का काम किया था । पुष्पेन्द्र और नीटू पूरे दिन मेरे साथ खेतो पर थे । इन्होने विनोद के घर जाकर उसकी लडकी ''सी'' के साथ कोई छेडखानी नहीं की और ना ही कोई बदतमीजी की । बल्कि सच्चाई यह है कि पुष्पेन्द्र के ताउ मांगेराम की लडकी योगिता को विनोद का रिश्तेदार लेकर भाग गया था । उस मुकदमे में फैसले का दबाव बनाने के लिए विनोद द्वारा पुष्पेन्द्र व नीटू, पर यह झूठा मुकदमा लिखाया गया । इस मुकदमे की बाबत हमे दि0 13.09.2018 की रात्रि को गांव में रूक्का होने पर पता चली थी । मैंने व अन्य लोगो ने पुलिस को सच्चाई बतायी थी कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई , परन्तु पुलिस वालो ने हमारी बात नहीं सुनी ।''

डी0डब्लू–1 योगेन्द्र ने अपने साक्ष्य मे सशपथ बयान किया है कि –'' दिनांक 12.09.2018 को मै अपने खेतो में मूंजी नलायी का काम कर रहा था । हमारे खेत अमरदीप व बबलू के आस पास है । उसी दिन पुष्पेन्द्र और नीटू , अमरदीप के खेतो में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मूंजी नला रहे थे । नीटू व पुष्पेन्द्र ने उक्त तारीख को पूरे दिन खेतो पर काम किया था। इन्होने विनोद के घर जाकर उसकी लडकी ''सी'' के साथ कोई छेडखानी या

बदतमीजी नहीं की थी। विनोद का एक रिश्तेदार पुष्पेन्द्र के ताउ मांगेराम की लडकी योगिता को लेकर भाग गया था । उक्त केस में पुष्पेन्द्र व नीटू ने पैरवी की थी । जिस कारण विनोद व उसके रिश्तेदार पुष्पेन्द्र व नीटू से रंजिश मानते थे । इसी रंजिश के कारण यह मुकदमा विनोद द्वारा झूठा लिखाया गया है ।''

डी0डब्लू–3 गौरव कुमार ने अपने साक्ष्य मे सशपथ बयान किया है कि – '' दि0 12.09.2018 को मै योगेन्द्र त्यागी के खेतो पर मूंजी नलायी का काम कर रहा था । उसके पास ही हरकेश त्यागी के खेतो में पुष्पेन्द्र और नीटू भी काम कर रहे थे । हम सभी लोगो ने सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक नलायी का काम किया था। उस दिन नीटू व पुष्पेन्द्र ने पूरे दिन खेतो पर काम किया था। विनोद के घर जाकर उसकी लडकी के साथ कोई छेडखानी या बदतमीजी नहीं की थी। विनोद का एक रिश्तेदार पुष्पेन्द्र के ताउ मांगेराम की लडकी योगिता को लेकर चला गया था । जिस केस में पुष्पेन्द्र व नीटू ने पैरवी की थी । इसी रंजिश के कारण विनोद ने पुष्पेन्द्र व नीटू के खिलाफ यह झूठा मुकदमा लिखवा दिया ।''

डी0डब्लू–4 ऋषिपाल सिंह ने अपने साक्ष्य मे सशपथ बयान किया है कि –'' दि0 12.09.2018 को समय करीब 4.00 बजे शाम मै अपनी बैल बुग्गी से पशुओ के लिए घास लेने गया था। मैने करीब 2 घंटे तक अपने पशुओ के लिए घास काटी थी। पुष्पेन्द्र व नीटू मुझे हरकेश के खेत में मूंजी नलाते हुए मिले थे । पुष्पेन्द्र व नीटू ने विनोद के घर जाकर उसकी लडकी के साथ कोई बदतमीजी या छेडखानी नहीं की थी। विनोद का रिश्तेदार दीपक , पुष्पेन्द्र के ताउ मांगेराम की लडकी योगिता को लेकर भाग गया था । जिसमें नीटू व पुष्पेन्द्र ने मांगेराम के साथ पैरोकारी की थी। इसी रंजिश के कारण विनोद ने पुष्पेन्द्र व नीटू के खिलाफ यह झूठा मुकदमा लिखाया है ।''

डी0डब्लू– 5 गौरव सैनी ने अपने साक्ष्य मे सशपथ बयान किया है कि – '' दि0 12.09.2018 को मै, पुष्पेन्द्र व नीटू व कुछ अन्य लोग हरकेश की मूंजी में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक नलायी का काम कर रहे थे । उस दिन मैं पूरे दिन पुष्पेन्द्र व नीटू के साथ खेतो पर ही था। पुष्पेन्द्र व नीटू ने विनोद के घर जाकर उसकी लडकी के साथ कोई छेडखानी या बदतमीजी नहीं की थी। विनोद का रिश्तेदार दीपक,पुष्पेन्द्र के ताउ मांगेराम की लडकी को लेकर भाग गया था । जिसमें पुष्पेन्द्र व नीटू ने मांगेराम के साथ पैरोकारी की थी । इसी रंजिश के कारण विनोद ने पुष्पेन्द्र व नीटू के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाया है ।''

डी0डब्लू– 6 अशोक ने अपने साक्ष्य मे सशपथ बयान किया है कि –'' दि0 12.09.2018 को मै गांव के ही पप्पू त्यागी के मूंजी के खेत पर डोले (मेढ) साफ कर रहा था ।

मैं सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खेत पर ही काम कर रहा था। पुष्पेन्द्र व नीटू व कुछ अन्य लोग हरकेश के खेतों में मूंजी नलायी का काम कर रहे थे । दोनों ने सुबह से शाम तक नलायी का कार्य किया था । पुष्पेन्द्र व नीटू ने विनोद के घर जाकर उसकी लडकी के साथ कोई छेडखानी या बदतमीजी नहीं की थी। विनोद का रिश्तेदार दीपक,पुष्पेन्द्र के ताउ मांगेराम की लडकी को लेकर भाग गया था । जिस केस में मांगेराम के साथ पुष्पेन्द्र व नीटू ने पैरोकारी की थी । इसी रंजिश में पुष्पेन्द्र व नीटू के खिलाफ विनोद ने झूठा मुकदमा लिखाया है । ''

17. अभियोजन कथानक के समर्थन में विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू ने वादी मुकदमा की अव्यस्क पुत्री ''सी''/ पीडिता उम्र करीब 17 वर्ष की लज्जा भंग करने के आशय से गृहअतिचार किया व आपराधिक बल का प्रयोग कर उसके साथ छेडछाड की तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी तथा उस पर लैंगिक हमला किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में प्रस्तुत साक्षीगण पी.डबलू–1 विनोद कुमार/ वादी मुकदमा, पी.डब्लू–2 पीडिता ''सी'', पी. डब्लू–3 डा0 मीनाक्षी , पी.डबलू–4 सेवानिवृत उपनिरीक्षक धर्मराज सिंह ,पी.डबलू–5 हैड का0 कुलदीप कुमार, पी.डब्लू–6 श्रीमती सुधा गुप्ता प्रधानाचार्या द्वारा अभियोजन कथानक का सम्यक् रूप से समर्थन किया है, इस प्रकार अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित है, अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जाये ।

18. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त के बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किये गये है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत तथ्य के साक्षियों में वादी मुकदमा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और उसके द्वारा स्वयं अपनी आंखो से कोई घटना नहीं देखी गयी है, ऐसी स्थिति में उसके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत किए गए तथ्य के साक्षी हितबद्ध साक्षी है, किसी स्वतन्त्र गवाह द्वारा समर्थन न किए जाने के कारण, केवल हितबद्ध साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। तथ्य के साक्षीगण पी.डबलू–1 विनोद कुमार/वादी मुकदमा, पी.डब्लू–2 पीडिता ''सी'', के बयानो में परस्पर विरोधाभास है, यह आपसी गंभीर विरोधाभास अभियोजन कथानक को स्वतः झूंठा व संदिग्ध कर देते है। प्रकरण की घटना दि012.09.2018 की शाम4.00 बजे की बतायी गयी है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दुराशय पूर्ण उद्देश्य से दि0 13.09.2018 की शाम 5.14 बजे दर्ज कराई गई है, देरी का कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

देरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने से समस्त अभियेाजन कथानक स्वतः ही झूठा व संदिग्ध हो जाता है । अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये ।

निष्कर्ष

19. सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

संक्षेप में घटना इस प्रकार से है कि वादी मुकदमा ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि '' कल दिनाक 12.09.2018 समय करीब 4 बजे शाम को प्राथी की लड़की कुमारी ''सी'' उम्र करीब 17 वर्ष अपने घर पर झाडू लगा रही थी, तो तभी मौहल्ले के पुष्पेन्द्र पुत्र महेश व नीटू पुत्र पप्पू जबरदस्ती पार्टी के घर में घुस आये और प्रार्थी की लडकी ''सी'' के साथ छेडछाड व बदतमीजी करने लगे और ''सी'' की छाती भीचने लगे। कु० ''सी'' के विरोध करने पर पुष्पेन्द्र प्रार्थी की लडकी ''सी'' को जबरदस्ती कोली भरकर घर से बाहर खींचकर ले गया और बाहर खड़ी मोटर साइकिल पर पुष्पेन्द्र व नीटू कु० ''सी'' को जबरदस्ती बैठाकर ले जाने लगे तो ''सी'' ने शोर मचा दिया। प्रार्थी की लड़की के शौर पर मौहल्ले के गुरदीप व मोनू आदि लोग आ गये, जिन्हें देखकर पुष्पेन्द्र व नीटू ''सी'' को जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। दिनाक 29.06.2018 को भी उक्त दोनो लोगो ने प्राथी के घर में घुसकर कु० ''सी'' के साथ बदतमीजी व छेडछाड की थी। प्रार्थी आज सुबह खरखौदा अपने भाई के पास से आया तो ''सी'' ने सारी घटना बतायी। प्रार्थी रिपोर्ट को आया है रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। '' उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू के विरूद्ध अ0 धारा 452, 506, 354 भा0दं0सं0, 7/8 पोक्सो एक्ट मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

20. विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू के विरूद्ध अ0 धारा 452, 506, 354 भा0दं0सं0,7/8 पोक्सो एक्ट के अर्न्तगत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया ।

21. अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू के विरूद्ध अ0 धारा 452, 506, 354 भा0दं0सं0,7/8 पोक्सो एक्ट का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया व विचारण की मॉग की। अभियोजन पक्ष को सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट किया गया।

22. उपरोक्त वाद को सिद्ध करने हेतु अभियोजन द्वारा साक्षीगण के रूप में

पी.डबलू–1 विनोद कुमार/वादी मुकदमा, पी.डब्लू–2 पीडिता ''सी'', पी.डब्लू–3 डा0 मीनाक्षी, पी.डबलू–4 सेवानिवृत उपनिरीक्षक धर्मराज सिंह,पी.डबलू–5 हैड का0 कुलदीप कुमार, पी.डब्लू–6 श्रीमती सुधा गुप्ता प्रधानाचार्या को परीक्षित कराया गया है।

23. पी.डबलू–1 विनोद कुमार/वादी मुकदमा ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित किया है । पी.डब्लू–2 पीडिता अव्यस्क ''सी'' ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए उसके साथ घटी लैंगिक अपराध की समस्त घटना को साबित किया है। पी.डब्लू–3 डा0 मीनाक्षी ने अपने साक्ष्य में पीडिता का चिकित्सकीय परीक्षण करना कहा है तथा मैडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–3 को अपने लेख व हस्ताक्षर में साबित किया है । पी.डबलू–4 सेवानिवृत उपनिरीक्षक धर्मराज सिंह ने अपने साक्ष्य में घटनास्थल के नक्शा नजरी प्रदर्श क–4, आरोपपत्र प्रदर्श क–5 को साबित किया है। पी.डबलू–5 हैड का0 कुलदीप कुमार ने अपने साक्ष्य में चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–6 व नकल कायमी मुकदमा जी0डी0 प्रदर्श क–7 को साबित किया है । पी.डब्लू–6 श्रीमती सुधा गुप्ता प्रधानाचार्या ने अपने साक्ष्य में पीडिता की शिक्षा/आयु की बाबत एस0आर0 रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श क–8, टी0सी0 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श क–9 को साबित किया है ।

24. यहा इस प्रकरण में अभियुक्त पर यह आरोप है कि अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू ने वादी मुकदमा की अव्यस्क पुत्री ''सी''/ पीडिता उम्र करीब 17 वर्ष की लज्जा भंग करने के आशय से गृहअतिचार किया व आपराधिक बल का प्रयोग कर उसके साथ छेडछाड की तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी तथा उस पर लैंगिक हमला किया। अभियेाजन को सुसंगत प्राविधानो के अर्न्तगत उक्त आरोपो को साबित करना है ।

25. पोक्सो अधिनियम के जघन्य अपराध से संबंधित मामलों में पीड़िता की आयु सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सर्वप्रथम उक्त बिंदु पीड़िता की उम्र के संबंध में विवेचना की जा रही है।

26. माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **AIR 2013 SUPREME COURT PAGE 3467 JARNAIL SINGH VS STATE OF HARYANA** के प्रकरण में बलात्संग व व्यपहरण के अपराध से संबंधित पीड़िता की आयु के निर्धारण के लिए यह विधि व्यवस्था दी कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2000 व उससे संबंधित नियम 12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) नियमावली 2007 में जो

प्रक्रिया किशोर की आयु के निर्धारण के लिए दी गयी है, उसी प्रक्रिया के आधार पर बलात्संग व व्यपहरण से संबंधित पीड़िता की आयु का भी निर्धारण किया जाना चाहिए।

27. उपरोक्त विधि व्यवस्था के उपरान्त माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **(2013) 14 सुप्रीम कोर्ट केस पेज 637 महादेव बनाम महाराष्ट्र राज्य व एक अन्य तथा (2015) 7 सुप्रीम कोर्ट केस पेज 773 मध्य प्रदेश राज्य बनाम अनूप सिंह** के प्रकरण में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने बलात्संग व व्यपहरण की पीड़िता की आयु का निर्धारण नियम 12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) नियमावली 2007 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर ही किये जाने की विधि व्यवस्था दी है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच के द्वारा **2016 (1) ए०एल० जे० पेज 54 अली मौहम्मद बनाम उ०प्र० राज्य** में भी यही विधि व्यवस्था प्रतिपादित की कि आयु निर्धारण के बिंदु पर नियम 12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) नियमावली 2007 के अनुसार ही निष्कर्ष दिया जाना चाहिए।

28. उल्लेखनीय है वर्तमान समय में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 लागू हो चुका है और उसमें पीडित की आयु के निर्धारण हेतु धारा 94 में प्राविधान वर्णित किए गए है । प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक 12.09.2018 की है और उपरोक्त धारा 94 के प्रावधान जनवरी, 2016 सें प्रादुर्भाव में आ चुके हैं। अतः उम्र के निर्धारण हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 प्रासंगिक है।

29. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 के अनुसार–

<u>94. Presumption and determination of age</u>–(2) In case, the Committee or the Board has reasonable grounds for doubt regarding whether the person brought before it is a child or not, the Committee or the Board, as the case may be, shall undertake the process of age determination, by seeking evidence by obtaining —

(i) the date of birth certificate from the school, or the matriculation or equivalent certificate from the concerned examination Board, if available; and in the absence thereof;

(ii) the birth certificate given by a corporation or a municipal authority or a panchayat;

(iii) and only in the absence of (i) and (ii) above, age shall be determined by

an ossification test or any other latest medical age determination test conducted on the orders of the Committee or the Board:

30, प्रस्तुत प्रकरण में पीडिता ''सी'' की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पी.डब्लू–6 श्रीमती सुधा गुप्ता प्रधानाचार्या को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि –''छात्रा कु0 ''सी'' पुत्री विनोद कुमार, माता का नाम श्रीमती रज्जो देवी, पता–ग्राम उपैड़ा जिला–हापुड़ का दाखिला हमने दिनांक 19.07.2012 में कक्षा–6 में लिया था। कु0 ''सी'' की जन्मतिथि दिनांक 05.02. 2002 है। कु0 ''सी'' का नाम एस0आर0 रजिस्टर के क्रमांक संख्या 472 पर अंकित है। कु0 ''सी'' का दाखिला मैंने पॉचवी पास की टी0सी0 के आधार पर कक्षा 6 में लिया था तथा ''सी'' ने हमारे विद्यालय से बारहवीं कक्षा पास की थी। कु0 ''सी'' की पॉचवी पास की टी0सी0 में जन्मतिथि दिनांक 05.02.2002 अंकित है। छात्रा कु0 ''सी'' का मूल अभिलेख मैं आज न्यायालय में लेकर आयी हॅू, जिसका सत्यप्रति दाखिल कर रही हॅू। एस0आर0 रजिस्टर की सत्य प्रतिलिपि पर प्रदर्श क–8 डाला गया, पॉचवी पास की सत्य प्रतिलिपि पर प्रदर्श क–9 डाला गया। '' जिसके आधार पर कथित **घटना के समय पीडिता की आयु 16 वर्ष 07 माह 07 दिन** होती है। अर्थात घटना के समय पीडिता 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग थी ।

प्रस्तुत प्रकरण मे अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू के विरूद्ध अ0 धारा 452, 506, 354 भा0दं0सं0,7/8 पोक्सो एक्ट का आरोप है अर्थात अभियुक्तगण का विचारण पोक्सो एक्ट के तहत किया जा रहा है । पोक्सो अधिनियम की धारा 29 व 30 में प्रावधानित है कि–

धारा 29– कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा–

जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने, करने का दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है, वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है यथास्थिति जब तक कि इसके विरूद्ध साबित नहीं हो जाता।

धारा 30– आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा–

(1). इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त के पक्ष पर आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किंतु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के

लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है।

(2). इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जाएगा जब न्यायालय इसकी विद्यमानता के बारे में युक्तियुक्त संदेह से परे विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित करती है,

स्पष्टीकरण– इस धारा में आपराधिक मानसिक स्थिति के अंतर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किये जाने का कारण भी है।

अतः पोक्सो अधिनियम के तहत अभियोजन एवं विचारण की स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रावधानों में यह उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्तगण द्वारा वह अपराध कारित किया गया है। यथास्थिति जब तक कि इसके विरूद्ध साबित नहीं हो जाता तथा अभियुक्तगण पर आपराधिक मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा भी की जायेगी। प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त उपधारणा के दृष्टिगत अभियुक्तगण को यह सिद्ध करना होगा कि अभियुक्तगण द्वारा यह अपराध कारित नहीं किया गया तथा घटना के समय अभियुक्तगण की कोई आपराधिक मानसिकता नहीं थी। प्रस्तुत प्रकरण में भी पीड़िता नाबालिग है तथा विचारण पोक्सो अधिनियम के तहत चल रहा है। अतः अभियुक्तगण की आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा की जायेगी।

31. यहां बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण के बचाव में सर्वप्रथम यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियेाजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत तथ्य के साक्षियों में वादी मुकदमा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और उसके द्वारा स्वयं अपनी आंखो से कोई घटना नहीं देखी गयी है, ऐसी स्थिति में उसके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

न्यायालय बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि यहां यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से तथ्य के साक्षियों की श्रेणी में पी. डबलू–1 विनोद कुमार/ वादी मुकदमा को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि –**"दिनांक 12.09.2018 को मेरी बेटी "सी" शाम करीब 04.00 बजे घर पर अकेली थी । घर में झाडू पोंछा लगा रही थी । "सी" की उम्र करीब 17 वर्ष है । तभी मौहल्ले के पुष्पेन्द्र , नीटू, मोटर साईकिल से घर पर आये । मोटर साईकिल मेरे घर के बाहर खडी की । पुष्पेन्द्र घर के अन्दर से "सी" को बदतमीजी करते हुए छाती भीचते हुए घर के बाहर लाने**

लगा । ''सी'' के शोर मचाने पर मौहल्ले के लोग इकटठा हो गये । इकटठा होने पर पुष्पेन्द्र ''सी'' को छोडकर मोटर साईकिल पर बैठकर घर भाग गया । ''सी'' ने मोनू कश्यप के फोन से 100 नम्बर पर फोन किया । पुलिस को सूचना दी । शाम करीब 7 बजे मेरे पास भी फोन किया । मैं उस दिन घर पर नहीं था । मुझ पर फोन किया था । मैं उसी दिन देर रात अपने घर उपैडा आया था । मैंने सोनू कश्यप जी से तहरीर लिखवाई तथा रात को थाने गये । परन्तु रात को रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई । अगले दिन सुबह 10 बजे मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली थी । साक्षी ने पत्रावली पर संलग्न तहरीर प्रदर्श क–1 को देखकर कहा कि यह वही असल तहरीर है , जो मैंने अपने गांव के सोनू कश्यप से लिखवाकर थाने पर दी थी ।''

विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि लैंगिक अपराध से सम्बन्धित मामलो में पीडिता ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी होती है। यहां पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पीडिता द्वारा न्यायालय के समक्ष दर्ज कराए गए अपने सशपथ बयान में अभियुक्त द्वारा उसके साथ किए गए लैंगिक अपराधिक कृत्य का स्पष्ट तौर पर वर्णन किया है । अभियोजन पक्ष की तरफ से तथ्य के साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–2 पीडिता अव्यस्क ''सी'' को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि **'' घटना दिनांक 12.09.2018 की है । मैं घर पर अकेली थी । समय करीब 04.00 बजे शाम मैं अपने आंगन में झाडू लगा रही थी । मौहल्ले के पुष्पेन्द्र, नीटू, ने आकर मेरे साथ बदतमीजी की । पुष्पेन्द्र मुझे कौली भरकर बाहर लेकर आया । मैंने शोर मचाया तो मौहल्ले के लोग इकटठे हो गये । मौहल्ले वालो के आने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गये । घटित घटना मैंने अपने पापा को बताई । पापा जी , ताउ के यहां खरखौदा गये हुए थे । पापा अगले दिन सुबह साढे सात बजे आये थे । पापा को मैंने सारी बात बताई । हम तहरीर लिखवाने के लिए सोनू अंकल के पास गये थे । जो मेरे साथ घटना हुई, वही उन्होने तहरीर में लिखा । मैंने खुद भी पढा था । उसके बाद हम तहरीर लेकर थाने गये । उन्होने हमारी तहरीर लेकर रख ली , शाम को आने के लिए बोला । हम शाम 5 बजे थाने गये । तब हमारी रिपोर्ट लिखी गयी । साक्षी मामले के पीडिता ने उसके न्यायालय के समक्ष अंकित कराए गए बयान अर्न्तगत धारा 164 द0प्र0सं0 प्रदर्श क–2 पर अपना फोटो व हस्ताक्षर होना पहचाना । ''**

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व दौरान विवेचना विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पीडिता के बयान अर्न्तगत धारा 164 द0प्र0सं0 अंकित कराए गए , जिसमें पीडिता द्वारा कथन किया गया है कि–**'' पुष्पेन्द्र और पिन्टू हमारे ही मौहल्ले के है । दिनांक 12.09.2018 को समय करीब शाम के 4 बजे मैं घर पर अकेली थी । सब घरवाले किसी न किसी काम से बाहर गए हुए थे । मम्मी , दीदी जंगल गई हुई थी । पापा, ताउजी के पास गए थे और भाई दिल्ली रहते है । मैं उस समय झाडू लगा रही थी । तभी पुष्पेन्द्र पीछे से आया और मेरी कौली भर ली । पुष्पेन्द्र मुझे घर से बाहर लाकर जबरदस्ती अपनी मोटर साईकिल पर बैठाने लगा । नीटू उस समय बाईक स्टार्ट करके**

खडा हुआ था । मैने शोर मचाया तो मौहल्ले के लोग इकटठा हो गए । पुष्पेन्द्र ने मेरे साथ छेडखानी करी थी । उसने मेरा सीना दबाया था । मौहल्ले वालो को आता देख पुष्पेन्द्र मुझे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया । नीटू भी भाग गया । दोनों बाईक पर भाग गए । उसी दिन फोन करके मैंने पापा को सारी बात बतायी । पापा अगले दिन दि0 13.09.2018 को आए , तो उस दिन थाने में मेरे पापा ने रिपोर्ट लिखाई । मैं भी साथ गई थी । मैं पुष्पेन्द्र और नीटू को सजा दिलाना चाहती हूं ।" अर्थात अव्यस्क पीडिता द्वारा अपने धारा 164 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में भी स्पष्ट तौर पर अपने साथ घटी लैंगिक अपराध सम्बन्धित घटना का समर्थन किया है ।

इन साक्षीगण से की गयी प्रति परीक्षा में भी बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ऐसी कोई गंभीर विरोधाभासी विपरीत बात नहीं निकलवा पाए है जो अभियोजन कथानक को जड से प्रभावित करती हो या उसे प्रथम दृष्टया ही अविश्वसनीय कर देती हो। ऐसी स्थिति में इस तर्क का कोई लाभ बचाव पक्ष को प्रदान नहीं किया जा सकता ।

32. यहां बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण के बचाव में अगला तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत किए गए तथ्य के साक्षी हितबद्ध साक्षी है ,किसी स्वतन्त्र गवाह द्वारा समर्थन न किए जाने के कारण, केवल हितबद्ध साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये ।

न्यायालय को बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण का यह तर्क संधारणीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यहां न्यायालय उपर यह निष्कर्ष निकाल चुका है कि लैंगिक अपराध के मामले में स्वयं पीडिता ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी होती है और केवल अकेले उसी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है ।

Ganesan v. State, (2020) 10 SCC 573 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओ का उल्लेख करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि –

"10.1. Whether, in the case involving sexual harassment, molestation, etc., can there be conviction on the sole evidence of the prosecutrix, in Vijay [Vijay v. State of M.P., (2010) 8 SCC 191 : (2010) 3 SCC (Cri) 639] , it is observed in paras 9 to 14 as under : (SCC pp. 195-98)
"9. In State of Maharashtra v. Chandraprakash Kewalchand Jain [State of Maharashtra v. Chandraprakash Kewalchand Jain, (1990) 1 SCC 550 : 1990 SCC (Cri) 210] this Court held that a woman, who is the victim of sexual

assault, is not an accomplice to the crime but is a victim of another person's lust and, therefore, her evidence need not be tested with the same amount of suspicion as that of an accomplice. The Court observed as under : (SCC p. 559, para 16)

'16. A prosecutrix of a sex offence cannot be put on a par with an accomplice. She is in fact a victim of the crime. The Evidence Act nowhere says that her evidence cannot be accepted unless it is corroborated in material particulars. She is undoubtedly a competent witness under Section 118 and her evidence must receive the same weight as is attached to an injured in cases of physical violence. The same degree of care and caution must attach in the evaluation of her evidence as in the case of an injured complainant or witness and no more. What is necessary is that the court must be alive to and conscious of the fact that it is dealing with the evidence of a person who is interested in the outcome of the charge levelled by her. If the court keeps this in mind and feels satisfied that it can act on the evidence of the prosecutrix, there is no rule of law or practice incorporated in the Evidence Act similar to Illustration (b) to Section 114 which requires it to look for corroboration. If for some reason the court is hesitant to place implicit reliance on the testimony of the prosecutrix it may look for evidence which may lend assurance to her testimony short of corroboration required in the case of an accomplice. The nature of evidence required to lend assurance to the testimony of the prosecutrix must necessarily depend on the facts and circumstances of each case. But if a prosecutrix is an adult and of full understanding the court is entitled to base a conviction on her evidence unless the same is shown to be infirm and not trustworthy. If the totality of the circumstances appearing on the record of the case disclose that the prosecutrix does not have a strong motive to falsely involve the person charged, the court should ordinarily have no hesitation in accepting her evidence.'

10. In State of U.P. v. Pappu [State of U.P. v. Pappu, (2005) 3 SCC 594 : 2005 SCC (Cri) 780] this Court held that even in a case where it is shown that the girl is a girl of easy virtue or a girl habituated to sexual intercourse, it may not be a ground to absolve the accused from the charge of rape. It has to be established that there was consent by her for that particular occasion. Absence of injury on the prosecutrix may not be a factor that leads the court to absolve the accused. This Court further held that there can be conviction on the sole testimony of the prosecutrix and in case, the court is not satisfied with the version of the prosecutrix, it can seek other evidence, direct or circumstantial, by which it may get assurance of her testimony. The Court held as under : (SCC p. 597, para 12)

'12. It is well settled that a prosecutrix complaining of having been a victim of the offence of rape is not an accomplice after the crime. There is no rule of law that her testimony cannot be acted upon without corroboration in material particulars. She stands at a higher pedestal than an injured witness. In the latter case, there is injury on the physical form, while in the former it is both physical as well as psychological and emotional. However, if the court of facts finds it difficult to accept the version of the prosecutrix on its face value, it may

search for evidence, direct or circumstantial, which would lend assurance to her testimony. Assurance, short of corroboration as understood in the context of an accomplice, would do.'

11. In State of Punjab v. Gurmit Singh [State of Punjab v. Gurmit Singh, (1996) 2 SCC 384 : 1996 SCC (Cri) 316] , this Court held that in cases involving sexual harassment, molestation, etc. the court is duty-bound to deal with such cases with utmost sensitivity. Minor contradictions or insignificant discrepancies in the statement of a prosecutrix should not be a ground for throwing out an otherwise reliable prosecution case. Evidence of the victim of sexual assault is enough for conviction and it does not require any corroboration unless there are compelling reasons for seeking corroboration. The court may look for some assurances of her statement to satisfy judicial conscience. The statement of the prosecutrix is more reliable than that of an injured witness as she is not an accomplice. The Court further held that the delay in filing FIR for sexual offence may not be even properly explained, but if found natural, the accused cannot be given any benefit thereof. The Court observed as under : (SCC pp. 394-96 & 403, paras 8 & 21)
'8. … The court overlooked the situation in which a poor helpless minor girl had found herself in the company of three desperate young men who were threatening her and preventing her from raising any alarm. Again, if the investigating officer did not conduct the investigation properly or was negligent in not being able to trace out the driver or the car, how can that become a ground to discredit the testimony of the prosecutrix? The prosecutrix had no control over the investigating agency and the negligence of an investigating officer could not affect the credibility of the statement of the prosecutrix. … The courts must, while evaluating evidence, remain alive to the fact that in a case of rape, no self-respecting woman would come forward in a court just to make a humiliating statement against her honour such as is involved in the commission of rape on her. In cases involving sexual molestation, supposed considerations which have no material effect on the veracity of the prosecution case or even discrepancies in the statement of the prosecutrix should not, unless the discrepancies are such which are of fatal nature, be allowed to throw out an otherwise reliable prosecution case. … Seeking corroboration of her statement before relying upon the same, as a rule, in such cases amounts to adding insult to injury. …Corroboration as a condition for judicial reliance on the testimony of the prosecutrix is not a requirement of law but a guidance of prudence under given circumstances.
… *
21. … The courts should examine the broader probabilities of a case and not get swayed by minor contradictions or insignificant discrepancies in the statement of the prosecutrix, which are not of a fatal nature, to throw out an otherwise reliable prosecution case. If evidence of the prosecutrix inspires confidence, it must be relied upon without seeking corroboration of her statement in material particulars. If for some reason the court finds it difficult to place implicit reliance on her testimony, it may look for evidence which may lend assurance to her testimony, short of corroboration required in the case of

an accomplice. The testimony of the prosecutrix must be appreciated in the background of the entire case and the trial court must be alive to its responsibility and be sensitive while dealing with cases involving sexual molestations.'
(emphasis in original)

12. In State of Orissa v. Thakara Besra [State of Orissa v. Thakara Besra, (2002) 9 SCC 86 : 2003 SCC (Cri) 1080] , this Court held that rape is not mere physical assault, rather it often distracts (sic destroys) the whole personality of the victim. The rapist degrades the very soul of the helpless female and, therefore, the testimony of the prosecutrix must be appreciated in the background of the entire case and in such cases, non- examination even of other witnesses may not be a serious infirmity in the prosecution case, particularly where the witnesses had not seen the commission of the offence.
13. In State of H.P. v. Raghubir Singh [State of H.P. v. Raghubir Singh, (1993) 2 SCC 622 : 1993 SCC (Cri) 674] this Court held that there is no legal compulsion to look for any other evidence to corroborate the evidence of the prosecutrix before recording an order of conviction. Evidence has to be weighed and not counted. Conviction can be recorded on the sole testimony of the prosecutrix, if her evidence inspires confidence and there is absence of circumstances which militate against her veracity. A similar view has been reiterated by this Court in Wahid Khan v. State of M.P. [Wahid Khan v. State of M.P., (2010) 2 SCC 9 : (2010) 1 SCC (Cri) 1208] placing reliance on an earlier judgment in Rameshwar v. State of Rajasthan [Rameshwar v. State of Rajasthan, 1951 SCC 1213 : AIR 1952 SC 54] .

14. Thus, the law that emerges on the issue is to the effect that the statement of the prosecutrix, if found to be worthy of credence and reliable, requires no corroboration. The court may convict the accused on the sole testimony of the prosecutrix."

उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि लैंगिक अपराध से सम्बन्धित मामले में जहां पीडिता द्वारा अपनी सुसंगत साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत कर दी गयी हो , वहां किसी भी अन्य स्वतन्त्र साक्षी द्वारा समर्थन न किए जाने से अभियोजन कथानक पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है । महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के इस समय में मौहल्ले पडोस का कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई गवाही न्यायालय में नहीं देना चाहता है । मौहल्ले पडोस का कोई भी आदमी सामान्य तौर पर अपने आप को कानूनी प्रक्रिया या न्यायालय में अपनी उपस्थिति से दूर रखना चाहता है । इसके अलावा मौहल्ले पडोस का कोई भी आम आदमी अपने आस पडोस या गांव /शहर के अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कोई गवाही देकर अपने व्यक्तिगत सम्बन्ध प्रभावित नहीं करना चाहता , ऐसी स्थिति में किसी स्वतन्त्र व्यक्ति या गवाह द्वारा गवाही न दिए जाने से

अभियोजन कथानक पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है , जबकि स्वयं पीडिता द्वारा अपने साथ घटित हुई घटना का सम्यक् रूप से समर्थन करते हुए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । जहां तक हितबद्ध साक्षी की साक्ष्य का प्रश्न है , तो इस सम्बन्ध में भी विधि सुस्पष्ट है कि किसी गवाह की गवाही को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह हितबद्ध साक्षी है । यदि हितबद्ध साक्षी द्वारा भी सुसंगत साक्ष्य के तौर पर अभियेाजन कथानक का समर्थनकारी सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत किया है , तो वह संधारणीय होता है । यहां इस मामले में भी स्पष्ट है कि पी0डब्लू–2 के रूप में स्वयं प्रकरण की अव्यस्क पीडिता द्वारा अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और तथ्य के अन्य गवाह पी. डब्लू–1 विनोद कुमार/ वादी मुकदमा है, जो पीडिता का पिता है तथा प्रकरण का स्वाभाविक साक्षी है और ऐसी स्थिति में उसकी साक्ष्य को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह हितबद्ध साक्षी है । अतः इस तर्क का भी कोई लाभ बचाव पक्ष प्राप्त नहीं कर सकता ।

33. यहां बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि तथ्य के साक्षीगण पी.डबलू–1 विनोद कुमार/वादी मुकदमा, पी.डब्लू–2 पीडिता ''सी'', के बयानो में परस्पर विरोधाभास है, यह आपसी गंभीर विरोधाभास अभियेाजन कथानक को स्वतः झूंठा व संदिग्ध कर देते है , अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये ।

न्यायालय बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि किसी भी प्रकरण में तथ्य के साक्षियों की साक्ष्य में छोटे मोटे विरोधाभास आने स्वाभाविक है । उक्त विरोधाभास ऐसे विरोधाभास नहीं है जो अभियोजन कथानक को जड से प्रभावित करते हो या उसे प्रथम दृष्टया ही झूठा और संदिग्ध कर देते हो । गवाहों में सामान्य विरोधाभास स्वाभाविक है , जो इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि उक्त गवाह सिखाये पढाये या रटे रटाये गवाह नही है । महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रश्नगत प्रकरण की पीडिता की आयु घटना के समय मात्र **16 वर्ष 07 माह 07 दिन** थी अर्थात प्रश्नगत प्रकरण की पीडिता एक अव्यस्क बालिका है। पी.डबलू–1 विनोद कुमार/वादी मुकदमा, की साक्ष्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के लगभग 2 वर्ष 3 माह से अधिक समयोपरान्त व पी.डब्लू–2 पीडिता अव्यस्क ''सी '' की साक्ष्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के लगभग 2 वर्ष 5 माह उपरान्त, अंकित की गयी है और इतने समय उपरान्त उन्हे छोटी छोटी सभी बाते याद रह पाना सम्भव नहीं है। परन्तु यह महत्वपूर्ण है कि उक्त साक्षीगण द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में अभियेाजन कथानक का संदेह से परे समर्थन किया है , ऐसी दशा में उक्त छोटे मोटे विरोधाभास से कोई विपरीत प्रभाव

अभियोजन कथानक पर नहीं पडता है , अतः इस तर्क का भी कोई लाभ बचाव पक्ष को प्रदान नहीं किया जा सकता ।

34. यहां बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण के बचाव में अगला तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण की घटना दि0 12.09.2018 की शाम 4.00 बजे की बतायी गयी है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दुराशय पूर्ण उद्देश्य से दि0 13.09.2018 की शाम 5.14 बजे दर्ज कराई गई है, देरी का कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। देरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने से समस्त अभियोजन कथानक स्वतः ही झूठा व संदिग्ध हो जाता है, अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये ।

न्यायालय को बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण का यह तर्क संधारणीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण की घटना दि0 12.09.2018 की शाम 4.00 बजे की बतायी गयी है । वादी मुकदमा ने अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 में स्पष्ट कथन किया है कि –" **कल दिनाक 12.09.2018 समय करीब 4 बजे शाम को प्रार्थी की लड़की कुमारी "सी" उम्र करीब 17 वर्ष अपने घर पर झाडू लगा रही थी, तो तभी मौहल्ले के पुष्पेन्द्र पुत्र महेश व नीटू पुत्र पप्पू जबरदस्ती पार्टी के घर में घुस आये और प्रार्थी की लडकी "सी" के साथ छेडछाड व बदतमीजी करने लगे और "सी" की छाती भीचने लगे। कु० "सी" के विरोध करने पर पुष्पेन्द्र प्रार्थी की लडकी "सी" को जबरदस्ती कोली भरकर घर से बाहर खींचकर ले गया और बाहर खड़ी मोटर साइकिल पर पुष्पेन्द्र व नीटू कु० "सी" को जबरदस्ती बैठाकर ले जाने लगे तो "सी" ने शोर मचा दिया। प्रार्थी की लड़की के शौर पर मौहल्ले के गुरदीप व मोनू आदि लोग आ गये, जिन्हें देखकर पुष्पेन्द्र व नीटू "सी" को जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। दिनाक 29.06.2018 को भी उक्त दोनो लोगो ने प्राथी के घर में घुसकर कु० "सी" के साथ बदतमीजी व छेडछाड की थी। प्रार्थी आज सुबह खरखौदा अपने भाई के पास से आया तो "सी" ने सारी घटना बतायी। प्रार्थी रिपोर्ट को आया है रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। "** उक्त तहरीर एवं उसमें अंकित कथनों के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि शाम के समय घटी घटना के सम्बन्ध में उसने अगले दिन आकर रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु थाने में तहरीर प्रस्तुत की। वैसे भी लैंगिक अपराध सम्बन्धित मामलो में जहां किसी नाबालिग लडकी/पीडिता के साथ किसी अभियुक्त द्वारा लैंगिक अपराधिक कृत्य की कोई घटना कारित की जाती है, तो वहां सर्वप्रथम उस लडकी/ पीडिता के परिवार वाले सामान्य तौर पर बदनामी के डर से लोकलाज के कारण रिपोर्ट दर्ज कराने में झिझकते है तथा बहुत कम लोग ऐसे मामलो में एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की हिम्मत करते है। इसके अलावा यह तथ्य भी स्पष्ट है कि लैंगिक अपराध से सम्बन्धित अपराध के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट का थोडी बहुत देरी से दर्ज कराया जाना,

कोई विपरीत प्रभाव नहीं रखता। जिसका कोई लाभ अभियुक्तगण को प्रदान नहीं किया जा सकता ।

35. यहां बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण के बचाव में एक तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना वाले दिन पुष्पेन्द्र और नीटू पूरे दिन, अन्य लोगो के साथ खेतो पर थे । इन्होने विनोद के घर जाकर उसकी लडकी ''सी'' के साथ कोई छेडखानी नहीं की और ना ही कोई बदतमीजी की । बल्कि सच्चाई यह है कि पुष्पेन्द्र के ताउ मांगेराम की लडकी योगिता को विनोद का रिश्तेदार लेकर भाग गया था । उस मुकदमे में फैसले का दबाव बनाने के लिए विनोद द्वारा पुष्पेन्द्र व नीटू पर यह झूठा मुकदमा लिखाया गया । पुष्पेन्द्र और नीटू के साथ खेतो पर काम कर रहे लोगों को बतौर साक्षी डी0डब्लू–1 अमरदीप त्यागी, डी0डब्लू–2 योगेन्द्र, डी0डब्लू– 3 गौरव कुमार, डी0डब्लू–4 ऋषिपाल सिंह, डी0डब्लू–5 गौरव सैनी को परीक्षित कराया गया है , जिन्होने अपने साक्ष्य मे पुष्पेन्द्र व नीटू द्वारा घटना की दिनांक पर पूरे दिन खेतो पर काम करना कहा है । जिससे समस्त अभियोजन कथानक स्वतः ही झूठा व संदिग्ध हो जाता है, अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये ।

न्यायालय को बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण का यह तर्क संधारणीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अभियुक्तगण द्वारा जो अन्यत्र उपस्थिति (Alibi) का तर्क दिया गया है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर न होकर खेत पर काम कर रहे थे । इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **कमला प्रसाद बनाम स्टेट आफ मध्यप्रदेश (वर्तमान में छत्तीसगढ) 2023 LiveLaw (SC)891** के मामले में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि अपनी अन्यत्र उपस्थिति अभियुक्त को केवल मौखिक साक्ष्य से सिद्ध नहीं करनी है, उसके साथ में अन्य सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर उसकी घटनास्थल पर अनुपस्थिति मानी जा सके । प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि बचाव पक्ष द्वारा अपने सफाई साक्ष्य में बतौर साक्षी डी0डब्लू–1 अमरदीप त्यागी, डी0डब्लू–2 योगेन्द्र, डी0डब्लू– 3 गौरव कुमार, डी0डब्लू–4 ऋषिपाल सिंह, डी0डब्लू–5 गौरव सैनी को परीक्षित कराया गया है । जिन्होने अपने साक्ष्य मे पुष्पेन्द्र व नीटू द्वारा घटना की दिनांक पर पूरे दिन खेतो पर काम करना कहा है , परन्तु अन्य कोई समर्थनकारी सुसंगत साक्ष्य बचाव पक्ष की तरफ से प्रस्तुत नही किया गया है, जिसके आधार पर उनकी घटनास्थल पर अनुपस्थिति मानी जा सके । अतः इस तर्क का भी कोई लाभ बचाव पक्ष को प्रदान नहीं किया जा सकता ।

अन्य कोई महत्वपूर्ण तर्क अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं

किया गया है ।

36. इस प्रकार उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों में अभियेाजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त समस्त साक्ष्य के सम्यक् विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियेाजन पक्ष अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू द्वारा वादी मुकदमा की अव्यस्क पुत्री ''सी''/ पीडिता की लज्जा भंग करने के आशय से गृहअतिचार कर आपराधिक बल का प्रयोग कर उसके साथ छेडछाड / लैंगिक हमला करने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

अतः अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू धारा 452,506,354 भा0दं0सं0,7/8 पोक्सो एक्ट के अर्न्तगत दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र व नीटू को सत्र परीक्षण संख्या 38/2019 मु0अ0सं0 417/2018 थाना बाबूगढ जिला हापुड में धारा 452, 506, 354 भा0दं0सं0,7/8 पोक्सो एक्ट के अर्न्तगत दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण जेरे जमानत न्यायालय में हाजिर है, उनके जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त किए जाते है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाकर जिला कारागार भेजा जाये। पत्रावली दोषसिद्ध अभियुक्तगण के सम्बन्ध में दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु दि0 29.07.2026 को पेश हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
दि0 28.07.2026 अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर सुनाया गया।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
दि0 28.07.2026 अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।